AIDS-IEC-06/40/2016 (Ext-1)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति

राज्य स्वास्थ्य एवं प0क0 संस्थान भवन, शेखपुरा, पटना – 800014

अभिरुचि की अभिव्यक्ति

बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, बिहार सरकार द्वारा राज्य के कुल 44 Toll Plaza (NHAI) पर कुल 176 (प्रति Toll Plaza 04) की संख्या में Permananent Hoarding राज्य सूचना एवं जनसंम्पर्क विभाग (IPRD) बिहार पटना के द्वारा निर्धारित विशिष्टियाँ/विनिर्देश तथा विभागीय अनुमोदित दर पर अधिष्ठापन करने हेतु विभिन्न पंजीकृत एजेन्सी/फर्म से अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित किया जाता है।

चयनित एजेन्सी को राज्य सूचना एवं जनसम्पर्क (IPRD) के द्वारा निर्धारित विशिष्टियाँ/विनिर्देश तथा विभागीय अनुमोदित दर पर कुल 44 Toll Plaza (NHAI) में कुल 176 Permanent Hoarding अधिष्ठापन किया जाना है। तदोपरान्त अधिष्ठापित Permanent Hoarding का geotagged photographs के साथ निर्धारित प्रपत्र को भरकर विपत्र के साथ समिति में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा।

पात्रता मानदंड

1. इच्छुक एजेन्सी या फर्म का निबंधन सूचना एवं जनसंम्पर्क विभाग, बिहार सरकार में होना अनिवार्य है। संबंधित का प्रमाण पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराया जाना है।
2. इच्छुक एजेन्सी या फर्म का पिछले तीन वित्तीय वर्ष (2022–23, 2023–24 एवं 2024–25) का वार्षिक टर्नओवर कम से कम 1.00 करोड़ का होना चाहिए। इस संबंधित उपरोक्त वित्तीयों वर्षो का Financial Statement (Profit & Loss Account & Balance Sheet) उपलब्ध कराया जाना है।
3. इच्छुक एजेन्सी या फर्म को सरकारी/अर्ध सरकारी के इकाईयों में Permanent Hoarding के अधिष्ठापन करने से संबंधित कम से कम तीन वर्षो का कार्य अनुभव होना चाहिए। कार्य अनुभव से संबंधित दस्तावेज की प्रति उपलब्ध कराया जाना है।
4. इच्छुक एजेन्सी या फर्म को राज्य सूचना एवं जनसम्पर्क (IPRD) के द्वारा निर्धारित विशिष्टियाँ/विनिर्देश तथा विभागीय अनुमोदित/निर्धारित दर पर कुल 44 Toll Plaza (NHAI) में कुल 176 Permanent Hoarding अधिष्ठापन का कार्य करने की सहमति पत्र लेटर हेड में टंकित कर प्रस्ताव देना अनिवार्य है।
5. इच्छुक एजेन्सी या फर्म का Permanent Hoarding अधिष्ठापन करने से संबंधित सभी प्रकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र अपने स्तर से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। समिति केवल एजेन्सी को सूचना एवं जनसंम्पर्क विभाग, बिहार सरकार के द्वारा निर्धारित विशिष्टियाँ/विनिर्देश तथा विभागीय अनुमोदित दर पर कुल 176 Permanent Hoarding अधिष्ठापन करने हेतु कार्यादेश निर्गत करेगी तथा समिति द्वारा किसी भी प्रकार के पत्र/प्रमाण पत्र निर्गत करने की जवाबदेही नहीं होगी। अन्य नियम एवं शर्ते चयनित एजेन्सी/ फर्म को कार्यादेश निर्गत के समय उपलब्ध कराया जाएगा।
6. समिति प्रस्ताव के स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए कोई कारण बताने हेतु बाध्य नहीं होगी। यदि समिति इच्छुक एजेन्सी/फर्म द्वारा उपलब्ध कराए गये प्रमाण पत्र या दस्तावेज से सहमत या संतुष्ट नहीं होती है तो किसी भी परिस्थिति में उक्त एजेन्सी या फर्म का चयन नहीं किया जाएगा।

7. अन्य जानकारी एवं स्थानो की सूची प्राप्त करने हेतु इच्छुक पंजीकृत फर्म/ एजेन्सी सभी कार्यदिवसों के दौरान कार्यालय अवधि में संयुक्त निदेशक (आई0ई0सी0) से जानकारी एवं मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते है।

मूल्यांकन मापदंड

1. इच्छुक एजेन्सी या फर्म सूचना एवं जनसम्पर्क (IPRD) के द्वारा निर्धारित विशिष्टियाँ/विनिर्देश तथा विभागीय अनुमोदित/निर्धारित दर या IPRD के निर्धारित दर से न्यूनतम दर पर कार्य करने हेतु सहमत हो।
2. बिहार सें पंजीकृत सबसे पुरानी एजेन्सी या फर्म हो।
3. समिति द्वारा केन्द्र सरकारी/राज्य सरकार/अर्ध सरकारी के इकाईयों में Permanent Hoarding के अधिष्ठापन करने से संबंधित अधिकतम कार्य अनुभव हो
4. जिस एजेन्सी का वार्षिक वित्तीय टर्नओवर सबसे अधिक हो।

नोटः यदि दो या दो से अधिक एजेनसियों द्वारा सामान दर quote करती है तो एजेन्सी का चयन हेतु समिति के क्रय कमिटि का निर्णय अंतिम होगा। एजेन्सी का चयन उपरोक्त मूल्यांकन मापदंड के आधार पर की जाएगी।

इच्छुक पंजीकृत एजेन्सी या फर्म उपरोक्त नियम एवं शर्ते के अनुरुप अभिरुचि की अभिव्यक्ति बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, स्वास्थ्य भवन, छठा तल, शेखपुरा, पटना के कार्यालय में दिनांक 30.10.2026 के अपराह्न 4:00 बजे तक जमा किया जाएगा।

बिना कारण बताए किसी भी स्तर पर प्रक्रिया को रद्द करने या आंशिक संशोधन करने का अधिकार बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

9/10/2026

अपर परियोजना निदेशक